

09/02/23

फत्रावती पैशा हुई। वकील पक्षकाराने उपस्थित।
वाद घोषणा साक्षित होने पर ड्री किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया गया व
शा.सि. किया गया। यह निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया। फत्रावती फैसल शुमार हो कर नंबर
से कम होकर दारिद्वल पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेख

